Admission in I. T. I., Delhi

915. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the I.I.T., Delhi recently advertised for admission to M. Tech. Course from candidates who have qualified GATE Examination and possessed Post Graduate qualifications in Physics;

(b) whether it is also a fact that I.I.T. charged admission fee for interview scheduled on 6th and 7th July, 1992;

(c) whether it is also a fact that some of the candidates qualified the GATE with a percentage of more than 95 per cent were not called for interview in M. Tech. on the grounds that they had less than 60 per cent marks in the University level in M. Sc. (Physics); and

(d) if so, whether Government would intervene in the matter and instruct the I.I.T. authorities in Delhi to call all candidates for interview, who are eligible for the same in view of the brochure of instructions specifying eligibility conditions for M. Tech. made available to candidates by the I.I.T., Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The candidates were required to pay Rs. 25/- for obtaining application forms for admission to PG programmes in M.Sc (Physics)/ M. Tech./Ph.D. in I.I.T., Delhi.

(c) and (d) The admissions to the M. Tec. Course in IT, Delhi are made on the basis of the criteria laid down by the Institute. The question of any intervention by the Government does not arise.

चौदह वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा

916. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शलजा) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों ने, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के प्रयास में, सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) समाप्त कर दिया है। इन राज्यों में स्थानीय निकायों तथा प्राइवेट, सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्रायः निःशुल्क दी जाती है, तथापि निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो देश के कुल प्रारंभिक स्कूलों का केवल 3.7 प्रतिशत भाग है, में कुछ शुल्क लिया जाता है।

शिक्षा की अन्य लागतों जैसे पाठ्य-पुस्तकों, वर्दियों, स्कूली बस्ते, परिवहन आदि का वहन राज्यों द्वारा वहन नहीं किया जाता। केवल कुछ मामलों में गरीब परिवारों के बच्चों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में सुविधायें प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारें इस अतिरिक्त व्यय को वहन करने में असमर्थ हैं इसका कारण यह है कि प्रारंभिक शिक्षा का 96 प्रतिशत मिलने वाला व्यय शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में ही चला जाता है।